



2026:AHC:162572

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 25989 वर्ष 2026

अर्पित

कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

यूपी

राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

आकाश यादव, विपीन

कुमार यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने सूचनाकर्ता की ओर से अपना अधिकार पत्र दाखिल किया, जिसे अभिलेख में ले लिया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विपिन कुमार यादव, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री इमरान खान की बात सुनी गई।
- यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 30 सन् 2026, धारा 103(1) के साथ धारा 3(5), 61(2) और 351(3) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन भरथाना, जिला इटावा में मुकदमे की लंबितता के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यद्यपि आवेदक का नाम दो अन्य लोगों के साथ एफ.आई.आर. में दर्ज है और एफ.आई.आर. के अनुसार आवेदक का मृतक की पत्नी, यानी सह-अभियुक्त पूजा के साथ अवैध संबंध था और उसने तथा सह-अभियुक्त पूजा ने सह-अभियुक्त सर्वेश कुमार के साथ मिलकर मृतक की हत्या की, लेकिन आवेदक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।
- उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, अभियोजन पक्ष के अनुसार आवेदक का मृतक की पत्नी, यानी सह-अभियुक्त पूजा के साथ अवैध संबंध था, लेकिन यह आरोप पूरी तरह से झूठा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उन्होंने आगे कहा कि संदेह और इस तथ्य के अलावा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार जब आवेदक को गिरफ्तार किया गया था तब उसके पास से एक खून से सनी कमीज बरामद हुई थी, आवेदक के खिलाफ अभिलेख में कोई अन्य ठोस सबूत नहीं है।

7. उन्होंने आगे यह भी कहा कि कथित तौर पर बरामद कमीज को भी इस अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता।

8. इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और आवेदक के खिलाफ अभिलेख पर कोई ठोस और स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह कहा जा सके कि आवेदक ने मृतक की हत्या की है।

9. उन्होंने आगे तर्क दिया कि सह-अभियुक्त सर्वेश कुमार को भी इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है और उनका जमानत आदेश पेपर बुक के पृष्ठ 79 पर संलग्न है।

10. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में 10.2.2026 से, यानी लगभग छह महीने से।

11. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि चूंकि आवेदक का मृतक की पत्नी, यानी सह-अभियुक्त पूजा के साथ अवैध संबंध था, इसलिए दोनों के पास मृतक की हत्या करने का मजबूत मकसद था, लेकिन अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सकते।

12. हालांकि उन्होंने इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि घटना वाले दिन आवेदक को मृतक के साथ एक मोटरसाइकिल पर शुभम नाम के व्यक्ति ने देखा था और उसे सह-आरोपी पूजा के साथ गिरफ्तार भी किया गया था, इसलिए यह दर्शाता है कि उनके बीच संबंध थे और उन्होंने मृतक की हत्या की थी।

13. उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जमानत आवेदन खारिज कर दी जानी चाहिए।

14. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया।

15. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक का मृतक की पत्नी, अर्थात् सह-अभियुक्त पूजा के साथ अवैध संबंध था, इसलिए दोनों ने सह-अभियुक्त सर्वेश कुमार के साथ मिलकर मृतक की हत्या की, लेकिन संदेह और इस तथ्य के अलावा कि गिरफ्तारी के बाद आवेदक के पास से एक खून से सनी कमीज बरामद हुई थी, आवेदक के खिलाफ अभिलेख पर कोई अन्य ठोस और स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है।

16. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बरामद कमीज को इस अपराध से नहीं जोड़ा जा सका।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. इस न्यायालय के विचार में, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर किसी अन्य सहायक साक्ष्य के अभाव में प्रथम दृष्टया इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने सह-अभियुक्त पूजा के साथ मृतक की हत्या की थी।

18. यह कानून स्थापित है कि संदेह कितना भी गंभीर क्यों न हो, वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता।

19. इसके अलावा, सह-अभियुक्त सर्वेश कुमार को भी इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

20. इसके अलावा, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 10.2.2026 से जेल में है, यानी लगभग छह महीने से।

21. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

22. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

23. आवेदक - **अर्पित कुमार** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

24. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

25. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की विचारण के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4 अगस्त, 2026

एसकेएम

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।